फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रूपशंकर पुरोहित **बनाम** **विपक्षी :– श्री हरीवल्लभ वगैरह**

किस्म मुकदमा – आ.39नि.2ए जा.दी. **पत्रावली संख्या : 05/09**

जीसीएमएस : 2009/00011

कार्यवाही विवरण | **विविध**

दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 32/08 उनवान रूपशंकर बनाम चखबाई में निर्णय दिनांक 12.08.2008 को पारित कर आदेश दिए गए थे कि विपक्षी संख्या 1 से 3 ताफैसला मूल वाद मौजा लदानी की आराजी नम्बर 357 रकबा 18 बिस्वा का जब तक विधिक रूप बंटवारा नही हो जाता तब तक आराजीयात के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करें तथा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण या बेचान नही करें। यदि बिना रूपान्तरण कराये टेलिकम्यूनिकेशन का टॉवर लगा दिया है तो तहसीलदार मावली नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रार्थी द्वारा उक्त कंटेम्पट का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2009 को प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय हाजा का स्थगन होने के पश्चात टावर लगाकर न्यायालय आदेश की अवहेलना की है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.08.2008 को स्थगन पारित किया गया था उक्त प्रकरण में भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर टेलिकम्यूनिकेशन तारीख 19.11.2007 से बना हुआ बताया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा बिनाय 01.12.2007 बताकर टावर का कार्य चालू रखना बताया है तथा न्यायालय हाजा द्वारा भी निर्णय में अंकित किया गया है कि यदि बिना रूपान्तरण कराये टेलिकम्यूनिकेशन का टॉवर लगा दिया है तो तहसीलदार मावली नियमानुसार कार्यवाही करें जिससे प्रतित होता है कि यदि मौके पर टावर नही बना होता तो न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार मावली को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित नही किया जाता। प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि टेलिकम्यूनिकेशन का टॉवर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.08.2008 के के बाद लगाया गया हो। न्यायालय हाजा के आदेश की अपील विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में कर दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा 17.12.2008 को स्थगन का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.08.2008 की पालना को स्थगित कर दिया गया तथा दिनांक 12.04.2010 को न्यायालय हाजा का निर्णय अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए एवं धारा 151 जा.दी. खारिज योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए एवं धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested